



न्यायालय सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट बहेडी, बरेली।

उपस्थित-श्री विजय शंकर गौतम

Judicial Officer Code-UP03454

(उ० प्र० न्यायिक सेवा)

CNR No. UPBR180012652018

योगेन्द्र कुमार बनाम होरी लाल आदि  
परिवाद सं०-1295/2018  
धारा-323,506,452,379 भा० दं० सं०  
थाना-देवरनियां, जिला-बरेली।

### निर्णय

1. प्रस्तुत परिवाद परिवादी योगेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्तगण होरी लाल, तुलाराम, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र एवं मुनेन्द्र के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323,506,452,379 भा० दं० सं० के तहत संस्थित किया गया है।
2. संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री दामोदर दास ग्राम खमरिया गोपाडांडी थाना देवरनियां जिला बरेली का निवासी है। दिनांक 06.05.2018 के लिए प्रार्थी के गांव में श्यामलाल भारती के यहां मण्डप था। वहां सभी लोगों की दावत थी और सभी लोग खाना खा रहे थे। इतने में होरी लाल व तुलाराम शराब के नशे में धुत थे। प्रार्थी के लिए मां बहन की गालियां देने लगे। प्रार्थी के विरोध करने पर झगड़ा करने लगे। प्रार्थी मौका पाकर अपने घर चला आया। लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर मय हथियारों से लैस होकर पुनः लगभग 08:30 बजे शाम को ही घर में घुस आये और बोले कि साले वहां से भाग आया, अब कौन बचायेगा। कहते हुए नरेन्द्र ने प्रार्थी के सीने पर देशी तमंचा से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, लेकिन प्रार्थी ने अपनी जान बचाते हुए उसके हाथ उपर कर दिया। अन्यथा प्रार्थी की मौके पर ही मौत हो जाती, फिर होरी लाल, तुलाराम, सुरेश, नरेश, मुनेन्द्र व नरेन्द्र ने बुरी तरह जमीन पर गिराकर लाठी डंडों और तमंचों की वटों से खूब मारा पीटा और गले में पड़ी सोने की चैन भी तोड़ कर रख ली। प्रार्थी की पत्नी व बच्चों के चीखने चिल्लाने व फायर की आवाज सुनकर गिरीश पुत्र दामोदर दास, तेजराम पुत्र कुन्दन लाल, योगेश पुत्र राम औतार और बहुत लोग गांव के व रिश्तेदार आ गये, जिन्होंने बचाया। प्रार्थी उसी दिन थाना देवरनियां रात में गया। पुलिस ने सुबह आने के लिए कह दिया और जब दूसरे दिन सुबह दिनांक 07.05.2018 के लिए थाने गया तो न रिपोर्ट दर्ज की और न मेडिकल कराया फिर प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट लिखाने हेतु उच्चाधिकारियों व जनता दिवस में भी स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तब प्रार्थी के लिए श्रीमान जी के न्यायालय में आना पड़ा जिससे उक्त लोगों के लिए तलब कर उचित दण्ड से दण्डित किया जाये। अतः प्रार्थना है कि होरीलाल, तुलाराम, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र व मुनेन्द्र को न्यायालय में तलब कर उचित दण्ड से दण्डित किया जाये।

3. परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी द्वारा स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा-200 दं0 प्र0 सं0 तथा साक्षीगण योगेश कुमार, तेजराम, ग्रीशचन्द्र का बयान अन्तर्गत धारा-202 दं0 प्र0 सं0 अंकित कराया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2018 को अभियुक्तगण होरी लाल, तुलाराम, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र एवं मुनेन्द्र को धारा-323,506,452,379 भा0 दं0 सं0 में विचारण हेतु तलब किया गया।
4. अभियुक्तगण होरी लाल, तुलाराम, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र एवं मुनेन्द्र न्यायालय उपस्थित आये और अपनी-अपनी जमानते करायी।
5. परिवादी योगेन्द्र कुमार द्वारा न्यायालय में धारा-244 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्वयं का बयान बतौर पी0 डब्लू0 01, तेजराम का बयान बतौर पी0 डब्लू0 02 तथा गिरीश चन्द्र का बयान बतौर पी0 डब्लू0 03 अंकित कराया गया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी गवाह का 244 दं0 प्र0 सं0 का बयान अंकित नहीं कराया गया।
6. तदोपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण होरी लाल, तुलाराम, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र एवं मुनेन्द्र के विरुद्ध दिनांक 18.07.2022 को धारा 323,506,452,379 भा0 दं0 सं0 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।
7. अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए परिवादी योगेन्द्र कुमार ने स्वयं को बतौर पी0 डब्लू0 01 तथा पी0 डब्लू0 02 के रूप में तेजराम को अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 के तहत परीक्षित कराया तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया। अतः शेष साक्ष्य का अवसर समाप्त हुआ।
8. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 24.01.2023 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को झूठा बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया।
9. मैंने परिवादी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।
10. परिवादी को यह साबित करना है कि दिनांक 06.05.2018, को समय लगभग 08:30 बजे एवं बहद स्थान ग्राम खमरिया गोपाडांडी थाना देवरनियां जिला बरेली में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के घर में घुसकर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर स्वेच्छा से उपहति कारित की गयी, परिवादी को जान से मारने की धमकी दी गयी, परिवादी के घर में घुसकर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कारित की गयी एवं परिवादी के गले में पड़ी सोने की चैन चोरी करने का अपराध कारित किया गया है।
11. दार्ष्टिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करना होता है।
12. परिवाद कथानक को साबित करने के लिए साक्षी पी0 डब्लू0 01, योगेन्द्र कुमार (परिवादी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-244 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया है कि घटना दिनांक 06.05.2018 रात के लगभग साढ़े 8 बजे की है। उस समय मैं श्यामलाल के यहां दावत खा रहा था। वहीं होरी लाल शराब पीकर गालियां देने लगे। वहां लोगों ने बीचबचाव कर दिया मैं घर पहुंचा तो होरीलाल, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र, मुनेन्द्र घर पर आ गये और मेरे साथ मार-पीट की। मेरे गले की चैन छीन ली। मैं थाने गया पर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से धारा 246 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत जिरह की गयी।
13. इस साक्षी पी0 डब्लू0 01, योगेन्द्र कुमार (परिवादी) ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया कि घटना आज से करीब 4 साल पहले की है। शाम के समय भीड़-भाड़ काफी इकट्ठी थी। लोगों ने बताया कि तुलाराम,

होरीलाल, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र, मुनेन्द्र मुझे गालियां दे रहे हैं। लोगों के कहने पर मैंने यह मुकदमा लिखा दिया था। इन लोगों ने मेरे घर में घुस कर किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की थी और न ही मेरे गले में पड़ी सोने की चैन तोड़ी। इन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी मुझे नहीं दी। इन्होंने मेरे साथ किसी प्रकार की गाली-गलौच अथवा मारपीट नहीं की। लोगों के कहने पर मुकदमा मैंने इन लोगों के खिलाफ लिखा दिया था। अब हम लोगों का आपसी समझौता हो गया है। लेकिन यह कहना गलत है कि आपसी समझौता होने के कारण मैं सही बयान अदालत में नहीं दे रहा हूँ।

14. परिवाद कथानक को साबित करने के लिए साक्षी पी0 डब्लू0 02, तेजराम (गवाह) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-244 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया है कि घटना दिनांक 06.05.2018 की है। मेरे गांव के श्यामलाल भारती के यहां शादी का मंडप था। जिसमें गांव के कई लोग खाना खा रहे थे। जिसमें होरी लाल व तुलाराम शराब के नशे में गालियां दे रहे थे। मेरे गांव के योगेन्द्र कुमार ने गाली देने से मना किया। तब ये लोग कहते हुए कि साले अभी देखता हूँ कहते हुए ये लोग चले गये। योगेन्द्र कुमार भी अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद समय लगभग 8.30 बजे होरीलाल, सुरेश, नरेश, तुलाराम, नरेन्द्र और मुनेन्द्र हाथों में लाठी-डण्डे लेकर जबरन योगेन्द्र के घर में घुस आये और गन्दी-गन्दी गालियां दी व बुरी तरह मारा-पीटा और योगेन्द्र के गले में पड़ी सोने की चैन छीनकर ले गये। शोर-शराबा सुनकर मौके पर तमाम लोग आ गये। तब यह लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गये।

15. इस साक्षी पी0 डब्लू0 02, तेजराम (गवाह) ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया कि दिनांक 06.05.2018 को शाम के समय साढ़े 8 बजे मैं अपने घर पर था। गांव के श्यामलाल के मंडप की दावत थी। हम लोग दावत में गये उसी समय होरीलाल, तुलाराम, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र, मुनेन्द्र से कहा सुनी हो गयी थी। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया। मेरे सामने किसी ने मारपीट या गालीगलौच नहीं दी और न ही मेरे सामने योगेन्द्र के गले में पड़ी सोने की चैन किसी ने तोड़ी। लोगों के कहने पर मैंने अदालत में पूर्व में बयान लिखा दिया मेरे सामने योगेन्द्र से इन लोगों की केवल कहा सुनी हो गयी थी। अब इन लोगों में आपसी समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण मैं आज झूठी गवाही दे रहा हूँ। गांव के लोगों ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी है। घटना के समय मैं मौजूद नहीं था मेरे सामने सिर्फ कहा सुनी हुई थी। मेरे सामने किसी ने जान से मारने की धमकी भी नहीं दी थी और न ही कोई योगेन्द्र के घर में घुसा था।

16. परिवाद कथानक को साबित करने के लिए साक्षी पी0 डब्लू0 03, गिरीश चन्द्र (गवाह) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-244 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया है कि घटना दिनांक 06.05.2018 को गांव के श्याम लाल भारती के यहां मंडप था मैं शाम को खाना खाने गया था। होरीलाल, तुला राम शराब के नशे में गाली दे रहे थे। मेरे गांव के योगेन्द्र कुमार ने गाली देने को मना किया, वह दोनो लोग दंगा-फसाद व मार-पीट करने लगे। योगेन्द्र वहां से बचकर अपने घर चला गया। होरीलाल, तुला राम अपने साथ, नरेश, नरेन्द्र, सुरेश, मुनेन्द्र के साथ लाठी-डण्डे लेकर रात के 8.30 बजे योगेन्द्र के घर में घुस आये। इन लोगों ने योगेन्द्र, तेजराम को गालियां देकर मारा-पीटा, योगेन्द्र के गले में पड़ी सोने की चैन तोड़ ली। योगेन्द्र व उसकी पत्नी व बच्चों की चीख-पुकार पर आस-पास के लोग आ गये व उन्होंने बीच-बचाव किया।

17. इस साक्षी पी0 डब्लू0 03, गिरीश चन्द्र (गवाह) से बचाव पक्ष द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी। उक्त के अतिरिक्त परिवादी की ओर से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

18. बचाव पक्ष द्वारा अपनी सफाई में किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह पूछे जाने पर कि क्या आप सफाई साक्ष्य देना चाहते हैं? तो उत्तर दिया गया कि जी नहीं। बचाव पक्ष की ओर से कोई भी सफाई साक्षी प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त हुआ।

19. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में परिवाद कथानक को साबित करने के लिए परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0 01, योगेन्द्र कुमार (परिवादी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 244 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि घटना दिनांक 06.05.2018 रात के लगभग साढ़े 8 बजे की है। उस समय मैं श्यामलाल के यहां दावत खा रहा था। वहीं होरी लाल शराब पीकर गालियां देने लगे। वहां लोगों ने बीचबचाव कर दिया मैं घर पहुंचा तो होरीलाल, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र, मुनेन्द्र घर पर आ गये और मेरे साथ मार-पीट की। मेरे गले की चैन छीन ली। मैं थाने गया पर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। किन्तु बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 में इस साक्षी ने अपने परिवाद कथानक का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि घटना आज से करीब 4 साल पहले की है। शाम के समय भीड़-भाड़ काफी इकट्ठी थी। लोगों ने बताया कि तुलाराम, होरीलाल, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र, मुनेन्द्र मुझे गालियां दे रहे हैं। लोगों के कहने पर मैंने यह मुकदमा लिखा दिया था। इन लोगों ने मेरे घर में घुस कर किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की थी और न ही मेरे गले में पड़ी सोने की चैन तोड़ी। इन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी मुझे नहीं दी। इन्होंने मेरे साथ किसी प्रकार की गाली-गलौंच अथवा मारपीट नहीं की। लोगों के कहने पर मुकदमा मैंने इन लोगों के खिलाफ लिखा दिया था। अब हम लोगों का आपसी समझौता हो गया है। लेकिन यह कहना गलत है कि आपसी समझौता होने के कारण मैं सही बयान अदालत में नहीं दे रहा हूं। इसी प्रकार परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0 02, तेजराम (गवाह) द्वारा भी अपनी जिरह अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 में परिवाद कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और कहा है कि गांव के श्यामलाल के मंडप की दावत थी। हम लोग दावत में गये उसी समय होरीलाल, तुलाराम, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र, मुनेन्द्र से कहा सुनी हो गयी थी। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया। मेरे सामने किसी ने मारपीट या गालीगलौंच नहीं दी और न ही मेरे सामने योगेन्द्र के गले में पड़ी सोने की चैन किसी ने तोड़ी। लोगों के कहने पर मैंने अदालत में पूर्व में बयान लिखा दिया मेरे सामने योगेन्द्र से इन लोगों की केवल कहा सुनी हो गयी थी। गांव के लोगों ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी है। घटना के समय मैं मौजूद नहीं था मेरे सामने सिर्फ कहा सुनी हुई थी। मेरे सामने किसी ने जान से मारने की धमकी भी नहीं दी थी और न ही कोई योगेन्द्र के घर में घुसा था। परिवादी की ओर से उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा उपरोक्त गवाहों की गवाही से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था **भगवान जगन्नाथ मार्कंड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2017(1) सुप्रीम कोर्ट 129** में प्रतिपादित सिद्धांत सुसंगत है, जिसमें कहा गया है कि *It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden to proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilty. The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt*". प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण होरी लाल, तुलाराम,

नरेश, सुरेश, नरेन्द्र एवं मुनेन्द्र लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323,506,452,379 भा0 दं0 सं0 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है। तद्दुसार:-

**आदेश**

20. अभियुक्तगण होरी लाल, तुलाराम, नरेश, सुरेश, नरेन्द्र एवं मुनेन्द्र को परिवाद सं0 1295/2018 अन्तर्गत धारा 323,506,452,379 भा.दं.सं. थाना देवरनियां जिला बरेली के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके जमानत दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

21. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के अन्तर्गत अभियुक्तगण प्रत्येक को आदेशित किया जाता है कि वह मु0 20,000/-रुपये का नवीन व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू 6 माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत करे कि वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

दिनांक:-06.02.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बहेड़ी, बरेली।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक:- 06.02.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बहेड़ी, बरेली।